भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2367

(सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

सीएसआर फंड का असमान व्यय

2367. श्री राजीव रायः
श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंगः
श्री खलीलुर रहमानः
डॉ. अमर सिंहः
श्री बलवंत बसवंत वानखडेः
श्री चरनजीत सिंह चन्नीः
श्री टी. आर. बालूः
श्री पुष्पेंद्र सरोजः

क्या **कारपोरेट मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो सीएसआर तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कल्याणकारी गतिविधियों पर अपेक्षित राशि व्यय नहीं कर रही हैं;
(ख) इन सीएसआर निधि के कल्याणकारी गतिविधियों पर व्यय के संबंध में अनिवार्य प्रावधानों को लागू कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, मऊ और बलिया जिलों तथा पश्चिम बंगाल के जंगीपुर में कल्याणकारी गतिविधियों पर सीएसआर के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा व्यय किये गये क्षेत्रों तथा धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(घ) इन जिलों में धनराशि खर्च न करने/कम खर्च करने के क्या कारण हैं;
(ङ) वर्ष 2020 से सीएसआर योगदान के माध्यम से समर्थित सरकारी योजनाओं सहित सीएसआर व्यय का ब्यौरा क्या है और राज्यों में, विशेषकर आकांक्षी जिलों या आपदा प्रभावित क्षेत्रों में, धन का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(च) 2020 से अब तक वर्ष-वार कुल कितनी अप्रयुक्त सीएसआर निधि व्यपगत हो गई है या "अव्ययित सीएसआर खाते" में स्थानांतरित कर दी गई हैं और इसके लिए दंडित कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) एवं (ख): कंपनी के बोर्ड को अपने बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी द्वारा लागू की गई कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति का प्रकटीकरण करना अपेक्षित है। कंपनी के बोर्ड को यह भी संतुष्ट होना होता है कि सीएसआर हेतु संवितरित धनराशि का उपयोग उसके द्वारा अनुमोदित उद्दश्यों और रीति से किया गया और इस संबंध में मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। इसके

अतिरिक्त, जिन कंपनियों की अपनी वेबसाइट होती है, उन्हें अपनी वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटीकरण करना अनिवार्य है। सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण-आधारित है तथा सीएसआर गतिविधियों पर किए गए व्यय का लेखा-परीक्षण कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा किया जाना आवश्यक है। मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से लागू कंपनियों (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (सीएआरओ, 2020) अधिसूचित किया है, जिसमें लेखा-परीक्षकों को किसी भी अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करना अनिवार्य है। इस प्रकार, वर्तमान तंत्र अनुपालन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त व्यवस्था प्रदान करता है। जब भी सीएसआर प्रावधानों के उल्लंघन की कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो अभिलेखों की समुचित जांच के उपरांत तथा विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, ऐसे गैर-अनुपालक कंपनियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की जाती है।

(ग): कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में फाइल सीएसआर से संबंधित सभी आंकडे सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं और इन्हें www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है। कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, मऊ और बलिया जिलों में विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक- I, II और III में संलग्न है। पश्चिम बंगाल में जंगीपुर नाम का कोई जिला नहीं है। जंगीपुर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का एक उप-मंडल है। इस मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय स्तर पर उप-मंडल-वार सीएसआर आंकडे नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ): अधिनियम के अंतर्गत सीएसआर एक बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है और कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनको निष्पादित करने और उन पर निगरानी करने के लिए अधिकृत है। सरकार किसी विशेष क्षेत्र या कार्यकलाप में व्यय करने के लिए कारपोरेट्स को कोई निदेश जारी नहीं करती है। कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में फाइल सीएसआर व्यय से संबंधित सभी डाटा www.csr.gov.in पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। कंपनियों द्वारा एमसीए 21 रजिस्ट्री में की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले पांच वित्तीय वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए देश के आकांक्षी जिलों में राज्यवार सीएसआर व्यय और सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक-IV और अनुलग्नक-V में संलग्न हैं।

(च): अव्ययित सीएसआर निधियों के संबंध में आंकडे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। कंपनियों द्वारा अधिनियम की अनुसूची-VII में विनिदष्ट निधियों में अंतरित की गई राशि अनुलग्नक-IV में संलग्न सूचना में शामिल है।

*****

अनुलग्नक-I

दिनांक 15.12.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2367 के भाग (ग) से संदर्भित
वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**सीएसआर विकास क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**
1.	कला और संस्कृति	-	-	-
2.	शिक्षा	0.02	-	0.17
3.	पर्यावरणीय स्थिरता	0.60	-	0.25
4.	स्वास्थ्य सेवा	0.10	0.09	0.23
5.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	0.87	2.20	3.42
6.	स्वच्छ पेयजल	-	-	-
7.	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	-	-	-
8.	व्यावसायिक कौशल	-	0.03	0.07
कुल		**1.59**	**2.32**	**4.14**

(31.03.2025 तक का आंकड़ा) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

***

अनुलग्नक-II

दिनांक 15.12.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2367 के भाग (ग) से संदर्भित
वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक मऊ, उत्तर प्रदेश में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	**सीएसआर विकास क्षेत्र**	**वितीय वर्ष 2021-22**	**वितीय वर्ष 2022-23**	**वितीय वर्ष 2023-24**
1.	शिक्षा	-	0.05	0.45
2.	स्वास्थ्य सेवा	0.35	0.20	0.01
3.	एनईसी/उल्लेख नहीं*	-	-	0.21
कुल		0.35	0.25	0.67

(31.03.2025 तक के आंकडे) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने या तो जिले के नाम निर्दिष्ट नहीं किया या एक से अधिक जिलों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

***

अनुलग्नक-III

दिनांक 15.12.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2367 के भाग (ग) से संदर्भित
वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक बलिया, उत्तर प्रदेश में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**सीएसआर विकास क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**
1.	पशु कल्याण	-	-	-
2.	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, वीरांगनाएं/आश्रित	0.08	-	0.02
3.	शिक्षा	0.08	0.81	0.63
4.	पर्यावरणीय स्थिरता	-	0.00	0.65
5.	स्वास्थ्य सेवा	0.54	0.04	4.26
6.	गरीबी, भुखमरी का उन्मूलन, कुपोषण	0.00	0.08	0.51
7.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	-	-	0.44
8.	स्वच्छ पेयजल	-	0.09	1.72
9.	स्लम क्षेत्र विकास	-	-	-
कुल योग		0.70	1.02	8.23

(31.03.2025 तक के आंकडे) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

***

अनुलग्नक-IV

दिनांक 15.12.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2367 के भाग (ङ) से संदर्भित

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक भारत में राज्यवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	वितीय वर्ष 2019-20	वितीय वर्ष 2020-21	वितीय वर्ष 2021-22	वितीय वर्ष 2022-23	वितीय वर्ष 2023-24
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.29	2.86	9.71	2.53	3.03
2.	आंध्र प्रदेश	710.23	719.81	663.50	986.77	1,129.75
3.	अरुणाचल प्रदेश	18.02	10.58	119.42	13.36	39.57
4.	असम	285.00	180.23	406.42	474.96	488.62
5.	बिहार	110.48	89.89	178.97	241.41	260.53
6.	चंडीगढ़	15.58	13.40	51.19	18.44	113.31
7.	छत्तीसगढ़	269.68	325.63	317.70	609.08	422.73
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	27.88	27.23	18.27	23.22	30.17
9.	दिल्ली	830.00	724.59	1,198.50	1,517.07	1,949.95
10.	गोवा	43.91	41.92	45.43	60.91	85.79
11.	गुजरात	984.37	1,461.60	1,613.18	2,060.02	2,707.54
12.	हरियाणा	537.91	550.86	687.13	720.38	816.95
13.	हिमाचल प्रदेश	78.78	106.31	140.27	141.40	148.59
14.	जम्मू और कश्मीर	25.27	35.56	50.68	72.19	98.54
15.	झारखंड	155.21	226.54	243.95	389.65	414.63
16.	कर्नाटक	1,448.16	1,277.81	1,849.82	2,058.73	2,254.88
17.	केरल	298.56	290.67	241.58	362.85	387.91
18.	लक्षद्वीप	-	0.01	0.97	0.02	0.36
19.	लेह और लद्दाख	-	-	14.84	11.72	30.41
20.	मध्य प्रदेश	220.46	375.51	427.48	668.32	600.47
21.	महाराष्ट्र	3,353.24	3,464.81	5,407.40	5,705.54	6,065.95
22.	मणिपुर	14.21	10.39	15.62	53.60	83.19
23.	मेघालय	17.65	17.63	19.63	22.94	30.94
24.	मिजोरम	0.25	0.97	6.94	11.01	4.48
25.	नागालैंड	5.10	3.57	12.46	13.57	15.41
26.	ओडिशा	717.39	578.16	752.37	994.82	1,389.39
27.	पुडुचेरी	11.32	12.43	9.31	14.29	32.68
28.	पंजाब	189.44	158.46	185.41	263.51	351.89
29.	राजस्थान	734.12	670.00	713.85	1,122.65	1,145.67
30.	सिक्किम	10.99	17.28	28.24	36.18	41.87
31.	तमिलनाडु	1,072.26	1,174.07	1,441.03	1,637.12	1,968.76
32.	तेलंगाना	445.80	627.71	688.58	1,040.61	1,054.92
33.	त्रिपुरा	9.40	9.29	15.91	19.26	9.45
34.	उत्तर प्रदेश	577.98	907.32	1,345.02	1,213.12	1,545.01
35.	उत्तराखंड	124.70	160.58	228.09	307.60	360.76
36.	पश्चिम बंगाल	423.85	471.48	571.89	782.74	862.57
37.	संपूर्ण भारत*	9,385.66	7,805.03	5,789.58	6,104.58	6,960.21
38.	केंद्रीकृत फंड**	1,790.69	3,491.30	1,631.01	1,145.78	1,000.83
39.	एनईसी/उल्लेख नहीं*	20.97	169.47	0.09	10.12	1.06
कुल		24,965.82	26,210.95	27,141.45	30,932.08	34,908.75

(31.03.2025 तक के आंकडे) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

*कंपनियों ने या तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

**अधिनियम की अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट अभिहित निधियों अर्थात स्वच्छ गंगा कोष, स्वच्छ भारत कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और पीएम केयर फंड सहित।

****

अनुलग्नक-V

दिनांक 15.12.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2367 के भाग (ङ) से संदर्भित

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक भारत में आकांक्षी-जिलावार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	आकांक्षी जिला	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
1	**आंध्र प्रदेश**	अल्लूरी सीताराम राजू	-	-	-	0.06	-
		वाई.एस.आर. कडप्पा	3.15	10.56	18.02	24.01	13.60
2	**अरुणाचल प्रदेश**	नामसाई	-	-	-	-	-
3	**असम**	बक्सा	0.23	-	-	-	-
		बारपेटा	13.89	5.23	15.14	44.52	35.87
		दरांग	15.66	4.13	41.34	14.65	20.93
		धुबरी	2.88	0.02	1.34	7.16	4.54
		गोलपाडा	-	0.31	0.82	0.94	3.94
		हैलाकांडी	-	-	2.36	1.84	1.11
4	**बिहार**	अररिया	0.11	0.01	7.73	7.13	1.16
		औरंगाबाद	0.80	1.48	4.64	12.04	10.63
		बांका	-	0.03	0.68	7.50	0.15
		बेगूसराय	3.50	3.53	8.90	18.11	20.09
		गया	2.01	1.68	6.11	5.78	13.51
		जमुई	0.44	0.36	0.69	8.93	4.49
		कटिहार	0.06	0.23	0.80	0.09	0.54
		खगड़िया	-	0.00	1.42	3.53	0.50
		मुजफ्फरपुर	0.73	5.55	9.83	10.09	52.00
		नवादा	2.13	-	0.34	1.67	2.24
		पूर्णिया	-	0.14	1.19	12.10	2.02
		शेखपुरा	-	-	1.07	2.31	1.94
		सीतामढ़ी	4.79	1.77	1.81	3.51	2.74
5	**छत्तीसगढ़**	बस्तर	0.05	5.11	15.26	12.12	17.24
		बीजापुर	-	1.79	-	-	-
		दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	-	12.13	8.77	9.91	19.52
		कोंडागांव	-	-	-	3.00	-
		कोरबा	17.05	18.74	22.03	27.23	37.20
		महासमुंद	1.79	-	0.77	0.27	6.90
		नारायणपुर	2.20	3.24	-	-	-
		राजनांदगांव	4.82	2.77	7.80	9.23	15.68
		सुकमा	0.23	1.60	2.49	1.41	-
		उत्तर बस्तर कैंसर	0.07	1.15	1.02	6.59	9.15
6	**गुजरात**	दाहोद	31.36	93.00	28.73	24.47	22.95
		नर्मदा	1.81	3.40	26.95	10.00	25.74
7	**हरियाणा**	नूह (मेवात)	3.38	4.87	15.49	51.49	24.22
8	**हिमाचल प्रदेश**	चंबा	0.12	5.68	12.99	11.26	16.00
9	**जम्मू और कश्मीर**	बारामूला	-	10.86	5.25	6.83	8.65
		कुपवाड़ा	-	-	1.80	0.64	1.76

जारी,,2/

-

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	आकांक्षी जिला	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
		बोकारो	1.99	1.04	20.19	17.77	31.84
		चतरा	-	0.21	4.61	2.65	6.25
		दुमका	0.73	4.09	7.58	10.78	18.62
		पूर्वी सिंहभूम	6.83	12.30	64.44	103.21	94.20
10		गढ़वा	-	0.11	0.33	0.34	0.24
		गिरिडीह	1.48	1.53	4.19	4.29	7.26
		गोड्डा	7.47	2.70	8.22	18.89	7.40
		गुमला	0.25	0.26	1.84	2.03	4.50
		हजारीबाग	1.09	3.55	7.98	6.54	16.72
	झारखंड	खूंटी	0.21	3.37	-	-	-
		लातेहार	-	-	3.26	3.66	4.16
		लोहरदगा	-	-	1.29	4.80	6.51
		पाकुड़	-	0.50	2.02	1.62	5.24
		पलामू	2.36	0.01	5.19	5.24	6.06
		रामगढ़	0.12	2.75	0.05	-	0.65
		रांची	6.25	13.42	53.15	67.61	80.65
		साहेबगंज	0.01	0.18	0.60	2.86	7.18
		सिमडेगा	0.03	0.96	4.25	3.43	10.50
		पश्चिम सिंहभूम	3.25	4.67	6.84	7.68	8.87
11	**कर्नाटक**	रायचूर	4.51	4.51	18.04	10.32	21.89
		यादगीर	1.58	0.97	2.83	-	-
12	**केरल**	वायनाड	3.05	1.43	3.33	4.88	3.91
		बड़वानी	2.12	3.17	3.61	6.84	4.96
		छतरपुर	0.43	0.84	7.22	8.03	11.21
		दमोह	1.69	4.34	5.07	17.15	7.53
13	**मध्य प्रदेश**	गुना	0.53	3.92	6.71	5.79	6.00
		खंडवा	12.82	8.77	15.22	11.89	15.21
		राजगढ़	1.54	4.68	3.97	6.59	12.96
		सिंगरौली	0.13	72.88	77.66	98.23	114.29
		विदिशा	-	1.00	3.60	1.20	0.89
		धराशिव	2.66	7.37	12.88	26.19	33.05
14	**महाराष्ट्र**	गढ़चिरौली	1.38	9.32	18.32	14.55	70.15
		नंदुरबार	8.71	23.27	24.92	30.37	35.66
		वाशिम	0.48	1.87	7.02	5.00	1.84
15	**मणिपुर**	चंदेल	0.13	-	0.78	0.54	0.35
16	**मेघालय**	री भोई	0.16	2.37	6.15	4.33	6.91
17	**मिजोरम**	मैमिट	-	-	4.23	9.03	1.72
		बलांगीर	0.06	10.06	3.69	7.74	15.21
		ढेंकनाल	3.90	3.37	9.10	9.22	8.73
		गजपति	-	-	7.76	1.15	0.29
		कालाहांडी	10.66	8.12	24.84	20.84	20.57
	ओडिशा	कंधमाल	1.12	0.04	2.86	6.16	2.96
18		कोरापुट	15.13	15.52	17.56	24.77	32.71
		मलकानगिरी	0.02	-	0.23	0.12	1.30
		नबरंगपुर	0.01	0.47	2.52	1.71	2.09
		नुआपाडा	0.30	0.44	3.32	0.60	0.51
		रायगढ़	6.09	5.39	11.86	9.50	14.03

जारी... 3/-

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	आकांक्षी जिला	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
19	**पंजाब**	फिरोजपुर	0.16	0.66	5.82	6.70	2.78
		मोगा	1.22	1.23	1.13	1.72	2.76
		बरन	5.68	6.25	6.81	11.95	16.01
		धौलपुर	0.52	2.85	3.37	1.72	4.39
20	**राजस्थान**	जैसलमेर	3.55	4.28	5.44	12.24	27.95
		करौली	3.03	10.62	12.09	16.66	4.68
		सिरोही	4.70	3.12	9.65	50.97	20.67
21	**तमिलनाडु**	रामनाथपुरम	7.42	14.97	13.96	9.81	10.12
		विरुधुनगर	13.88	16.58	19.09	23.94	34.69
		भद्राद्री कोठागुडेम	3.38	3.72	3.53	0.11	3.98
22	**तेलंगाना**	जयशंकर भूपालपल्ली	-	0.44	0.23	-	-
		कुमुराम भीम आसिफाबाद	-	0.04	0.12	0.02	-
23	**त्रिपुरा**	धलाई	0.48	0.24	0.39	-	0.63
24		बहराइच	0.33	1.76	5.18	7.92	17.29
		बलरामपुर	0.82	1.47	2.61	1.20	3.89
		चंदौली	-	1.01	6.01	6.38	4.55
	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	-	0.35	1.17	4.50	8.88
		फतेहपुर	1.09	0.23	0.46	2.22	6.72
		श्रावस्ती	0.01	0.33	4.99	3.77	4.44
		सिद्धार्थनगर	0.10	0.56	2.63	0.40	6.97
		सोनभद्र	1.15	25.42	34.39	41.64	52.81
25	**उत्तराखंड**	हरिद्वार	26.37	35.38	47.41	65.46	75.80
		उदम सिंह नगर	8.65	12.87	17.46	24.81	23.96
		औरंगाबाद	-	-	-	0.47	4.02
		बहराइच	-	-	-	0.11	-
		बारपेटा	-	-	-	-	6.71
		बेगूसराय	-	-	-	0.75	-
		बोकारो	-	-	-	0.30	-
		चंबा	-	-	-	-	0.12
		चंदेल	-	-	-	0.92	-
		हरिद्वार	-	-	-	-	0.36
		हजारीबाग	-	-	-	1.53	-
26	**संपूर्ण भारत***	मोगा	-	-	-		0.01
		रांची	-	-	-	0.11	0.08
		रायगढ़	-	-	-	-	0.09
		री भोई	-	-	-	-	0.30
		सिमडेगा	-	-	-	0.16	-
		सिंगरौली	-	-	-	-	6.74
		सोनभद्र	-	-	-	-	5.98
		विदिशा	-	-	-	-	1.08
		वायनाड	-	-	-	-	1.20
		हरिद्वार	-	-	-	0.19	-
27	**एनईसी/उल्लेख नहीं***	कंधमाल	-	-	-	0.10	-
		उदम सिंह नगर	-	-	-	0.05	-
	कुल		**307.06**	**589.56**	**978.85**	**1,265.36**	**1,521.44**

(31.03.2025 तक के आंकडे) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

*कंपनियों ने या तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

****